



भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग

प्रलिस के लिये:

[भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग](#), [वशिव स्वास्थ्य संगठन \(WHO\)](#), [केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन \(CDSCO\)](#), [बौद्धिक संपदा अधिकार \(IPR\) कानून](#), [उत्पादन आधारित प्रोत्साहन \(PLI\) योजना](#)

मेन्स के लिये:

[भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थिति](#), [भारत के फार्मा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ](#)।

[स्रोत: बजिनेस स्टैंडर्ड्स](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय औषधि नियामक](#) द्वारा नरीक्षण की गई लगभग 36% औषधि निर्माण इकाइयों को दिसंबर 2022 से [केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन \(Central Drug Standards Control Organisation - CDSCO\)](#) द्वारा जोखिम आधारित नरीक्षण के बाद गुणवत्ता मानकों का पालन न करने के कारण बंद कर दिया गया।

गुणवत्ता नियंत्रण वफिलताओं को उजागर करने वाली घटनाएँ क्या हैं?

- भारतीय फार्मास्यूटिकल एलायंस और मैकनिसे एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में अमेरिकी [खाद्य एवं औषधि प्रशासन \(US Food and Drug Administration- FDA\)](#) ने भारतीय सुवधाओं के 145 नरीक्षणों में से 13% को आधिकारिक कार्रवाई संकेत OAI के रूप में वर्गीकृत किया, जो कि 15% OAI के वैश्विक औसत से कम है।
 - [डेटा अखंडता](#) के मुद्दे प्रचलित थे, जिनमें गलत डेटा, अनुचित समूह वितरण, संदग्ध नमूना पुनःवशिलेण प्रथाएँ और खराब प्रणालीगत गुणवत्ता प्रबंधन शामिल थे।
- अक्टूबर 2022 में, [वशिव स्वास्थ्य संगठन](#) ने भारत के मेडेन फार्मास्यूटिकल्स के चार उत्पादों को तीव्र कडिनी की चोट और गाम्बधिया में जहरीले रसायनों [डाइएथिलीन ग्लाइकॉल](#) तथा [एथिलीन ग्लाइकॉल](#) के संदूषण के कारण 66 बच्चों की मौत से जोड़ते हुए एक चेतावनी जारी की।
- दिसंबर 2022 में [सेंटरल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन \(CDSCO\)](#) ने [उजबेकस्तान](#) में 18 बच्चों की मौत के संबंध में जाँच शुरू की जो कथित रूप से भारतीय फर्म मैरियिन बायोटेक द्वारा निर्मित एक [खाँसी की औषधि](#) थी।
 - हाल ही में यूएस सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) ने कथित रूप से भारत से आयातित आई ड्रॉप्स से जुड़े [औषधि प्रतिसिधी बैक्टीरिया स्ट्रेन पर चर्चा](#) व्यक्त की थी।
- जनवरी 2020 में जम्मू में 12 बच्चों की दूषित औषधि खाने से मौत हो गई, जिसमें [डायथिलीन ग्लाइकॉल](#) पाया गया था, जिससे कडिनी में वषिकृता हो गई थी।

भारत में औषधियों का नियमन कैसे होता है?

- [औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940:](#)
 - औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम 1945 ने औषधियों एवं प्रसाधन सामग्री के वनियमन के लिये केंद्रीय एवं राज्य नियमकों को [वभिन्न ज़मिमेदारियाँ साँपी](#) हैं।
 - यह आयुर्वेदिक, सदिध, यूनानी औषधियों के निर्माण के लिये लाइसेंस जारी करने के लिये नियामक दशिया-नरिदेश प्रदान करता है।
- [केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन \(CDSCO\):](#)
 - देश में [औषधि, साँदर्य प्रसाधनों, नदिान और उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता तथा गुणवत्ता](#) सुनिश्चित करने के लिये मानक एवं उपाय नरिधारित करता है।
 - नई औषधि और नैदानिक परीक्षण मानकों के बाज़ार प्राधिकरण को वनियमित करता है।
- [ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया:](#)

- DCGI, भारत सरकार के CDSCO वभाग का प्रमुख है जो भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, IV तरल पदार्थ, टीके एवं सीरम जैसी औषधियों की नरिदष्टि श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन के लिये ज़म्मेदार है।
- DCGI भारत में औषधियों के वनिरिमाण, बकिरी, आयात और वतिरण के लिये मानक भी नरिधारित करता है।

भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थिति क्या है?

- **वर्तमान परिदृश्य:**
 - भारत विश्व में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है और साथ ही यह वैश्विक स्तर पर जेनेरिक औषधियों का सबसे बड़ा प्रदाता भी है, जिसकी वैश्विक आपूर्ति में 20% हस्सिसेदारी है।
 - वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में भारत का योगदान 60% है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक बनाता है।
 - भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा की दृष्टि से विश्व में तीसरा सबसे बड़ा तथा मूल्य की दृष्टि से 14वां सबसे बड़ा उद्योग है।
 - फार्मा क्षेत्र वर्तमान में देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 1.72% का योगदान देता है।
- **बाज़ार का आकार तथा नविश:** भारत विश्व भर में जैव प्रौद्योगिकी के शीर्ष 12 गंतव्यों में से एक है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिये तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।
 - भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग ने पछिले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर वसितार देखा है और साथ ही इसकी गुणवत्ता, सामर्थ्य एवं नवीनता को बढ़ाते हुए वैश्विक फार्मा बाज़ार के आकार के लगभग 13% तक पहुँचने की आशा है।
 - ग्रीनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स परियोजनाओं के लिये स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100% तक प्रत्यक्ष वदिशी नविश (FDI) की अनुमति प्रदान की गई है।
 - ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स परियोजनाओं के लिये स्वचालित मार्ग से 74% तक FDI की अनुमति है तथा इससे अधिक के लिये सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता है।
 - अनुमान है कि वर्ष 2030 के अंत तक भारतीय फार्मास्यूटिकल बाज़ार का मूल्य 130 बलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।
- **नरियात:** भारत में वदिशी नविश के लिये फार्मास्यूटिकल शीर्ष दस आकर्षक क्षेत्रों में से एक है। फार्मास्यूटिकल नरियात विश्व भर के 200 से अधिक देशों तक पहुँच गया है, जिसमें अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अत्यधिक वनियमिती बाज़ार शामिल हैं।
 - वतित वर्ष 2024 (अप्रैल-जनवरी) में भारत का औषधि और फार्मास्यूटिकल्स नरियात 22.51 बलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो इस अवधि में वार्षिक रूप से 8.12% की वृद्धि को दर्शाता है।

ग्रीनफील्ड बनाम ब्राउनफील्ड नविश

- **ग्रीनफील्ड परियोजना:** इसका तात्पर्य किसी वनिरिमाण, कार्यालय या अन्य भौतिक कंपनी-संबंधित संरचना या संरचनाओं के समूह में ऐसे क्षेत्र में नविश से है जहाँ पहले कोई सुविधाएँ मौजूद नहीं हैं।
- **ब्राउनफील्ड नविश:** जनि परियोजनाओं को संशोधित या उन्नत किया जाता है उन्हें ब्राउनफील्ड परियोजनाएँ कहा जाता है। इस शब्द का उपयोग किसी नई उत्पादन गतिविधि को शुरू करने हेतु मौजूदा उत्पादन सुविधाओं को खरीदने या पट्टे पर देने के लिये किया जाता है।

भारत के फार्मा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **IPR नयियों का उल्लंघन:** भारतीय औषधि कंपनियों को **बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights- IPR)** कानूनों के उल्लंघन के आरोपों का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप बहुराष्ट्रीय औषधि कंपनियों के साथ कानूनी विवाद हुए हैं।
- **रॉश ने सपिला पर औषधि के एक सामान्य संस्करण का उत्पादन करके कैंसर की औषधि टारसेवा (Tarceva) के लिये अपने पेटेंट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।** विवाद बढ़ गया, जिससे दोनों कंपनियों के बीच न्यायालयी लड़ाई छड़ी गई, जिसमें सपिला को दोषी पाया गया और रॉश को मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया।
- **ऐसा ही एक मामला वर्ष 2014 में स्वसि औषधि कंपनी रॉश और भारतीय औषधि निरिमाता सपिला से जुड़ा था।**
- **मूल्य नरिधारण और सामर्थ्य:** भारत अपनी जेनेरिक औषधि निरिमाण क्षमताओं के लिये जाना जाता है, जिसने विश्व स्तर पर सस्ती स्वास्थ्य सेवा में योगदान दिया है।
 - हालाँकि भारत में औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा औषधि कंपनियों की लाभप्रदता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है।
 - इसके अतिरिक्त, जेनेरिक औषधियों की गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ उद्योग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती हैं, जो 90% से अधिक अमेरिकी नुस्खों की आपूर्ति करता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना और पहुँच:** भारत के मज़बूत फार्मास्यूटिकल उद्योग के बावजूद आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से हेतु स्वास्थ्य सेवा की पहुँच चुनौती बनी हुई है।
 - अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना, स्वास्थ्य सुविधाओं का असमान वतिरण और कम स्वास्थ्य बीमा कवरेज जैसे मुद्दे औषधियों तक पहुँचने में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।
- **आयात पर अत्यधिक नरिभरता:** भारतीय फार्मा क्षेत्र सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients- API) के लिये आयात पर बहुत अधिक नरिभर करता है, जो औषधियों हेतु कच्चा माल है। वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान से कमी और कीमतों में

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

??????:

परश्न. भारत सरकार औषधके पारंपरिक ज्ञान को औषधकंपनियों द्वारा पेटेंट कराने से कैसे बचा रही है? (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-s-pharmaceutical-industry-1>

